

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, इंदौर (म.प्र.)

Telephone no. 0731-2554666. Email - indore@mplownplan.gov.in

क्र. /
प्रति.

/INDLP-7956/21/नग्रानि/2021

इंदौर, दिनांक

1. डॉ. विनोद पिता श्री शैतानमल भण्डारी, 2. डॉ. मन्जु पति श्री विनोद भण्डारी, निवासी-181, क्लर्क कॉलोनी, इंदौर, 3. श्री अमय पिता श्री माणकचंद्र पोखरना, 4. श्री अनिल पिता श्री माणकचंद्र पोखरना, 5. श्री उमेश पिता श्री जगन्नाथ त्रिवेदी, 6. श्रीमती रश्मि पति श्री उमेश त्रिवेदी, पता-225, क्लर्क कॉलोनी, इंदौर (म.प्र.)

विषय :- ग्राम भंवरासला, तहसील मल्हारगंज, जिला इन्दौर के सर्वे क्रमांक 159/2, 159/1/2/3/1, 159/1/2/2/1, 159/1/1/1, 159/1/2/1/1 कुल रकबा 3.278 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास एवं आवासीय मल्टी डेवलिंग यूनिट उपयोग हेतु जारी अभिन्यास अनुमोदन में संशोधन बाबद।

संदर्भ :- आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 01/06/2021 एवं संशोधन हेतु म0 प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 धारा 29(3) की विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक 04/06/2021.

कॉलोनी का नाम- "हाईलाईन हेरिटेज"

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में आवेदक 1. डॉ. विनोद पिता श्री शैतानमल भण्डारी, 2. डॉ. मन्जु पति श्री विनोद भण्डारी, निवासी-181, क्लर्क कॉलोनी, इंदौर, 3. श्री अमय पिता श्री माणकचंद्र पोखरना, 4. श्री अनिल पिता श्री माणकचंद्र पोखरना, 5. श्री उमेश पिता श्री जगन्नाथ त्रिवेदी, 6. श्रीमती रश्मि पति श्री उमेश त्रिवेदी, पता-225, क्लर्क कॉलोनी, इंदौर (म.प्र.) के नाम से ग्राम भंवरासला, तहसील मल्हारगंज, जिला इन्दौर के सर्वे क्रमांक 159/2, 159/1/2/3/1, 159/1/2/2/1, 159/1/1/1, 159/1/2/1/1 कुल रकबा 3.278 हेक्टेयर भूमि पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5490 दिनांक 01/08/2019 द्वारा आवासीय भूखण्डीय विकास एवं आवासीय मल्टी डेवलिंग यूनिट उपयोग हेतु जारी अभिन्यास अनुमोदन में आवासीय मल्टी डेवलिंग यूनिट उपयोग हेतु आरक्षित ब्लॉक के आकार-प्रकार में परिवर्तन कर फ्यूचर प्लानिंग हेतु भूमि आरक्षित करते हुए म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29(3) के अधीन संशोधन हेतु निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

1. धारा 29(3) के निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।
2. आवेदन शुल्क चालान क्रमांक MPT0217021729052021000004 दिनांक 29/05/2021 द्वारा राशि 20,000/- एवं अनुज्ञा शुल्क चालान क्रमांक MPT021724062021000028 दिनांक 24/06/2021 द्वारा राशि 1,23,225/- इस प्रकार कुल राशि 1,43,225/- जमा।
3. वी1 पी2 वर्ष 2020-2021
4. सीमांकन रिपोर्ट।
5. प्रस्तावित संशोधित मानचित्र।
6. भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज एवं शपथ पत्र।

विषयांकित स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें स्थल पर नगर निगम, जिला इन्दौर से विकास अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् कार्यालय द्वारा जारी अनुमति अनुमति प्रारंभ कर दिया गया है। प्रश्नाधीन स्थल को पश्चिम दिशा में इंदौर विकास मीटर मार्ग से पहुँच उपलब्ध है।

Digitally signed by S. At Madgal
Date: 2021.06.30 14:57:50 IST

अविरत2

Steno/FC/SE(5)/28-06-2021

For V8 Builders And Developers

Authorised Signatory

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29(3) सहपठित म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के निर्धारित प्रारूप में प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र अग्निबाण एवं दैनिक दोपहर में दिनांक 04/06/2021 को किया गया। सूचना प्रकाशन से पन्द्रह (15) दिवस में कोई आपत्ति इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है।

अपर आयुक्त, कॉलोनी सेल, नगर पालिक निगम, इंदौर का पत्र क्रमांक 1918 दिनांक 08/06/2021 द्वारा अभिमत दिया है कि, ग्राम भंवरासला, तहसील मल्हारगंज, जिला इन्दौर के सर्वे क्रमांक 159/2, 159/1/2/3/1, 159/1/2/2/1, 159/1/1/1, 159/1/2/1/1 कुल रकबा 3.278 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास उपयोग हेतु जारी अभिन्यास अनुमोदन में संशोधन के संबंध में आवेदक को नियमानुसार आवश्यक शुल्क जमा कर संशोधित विकास अनुमति प्राप्त करना होगी।

अतः वर्तमान आवेदक 1. डॉ. विनोद पिता श्री शैतानमल भण्डारी, 2. डॉ. मन्जु पति श्री विनोद भण्डारी, निवासी-121, क्लर्क कॉलोनी, इंदौर, 3. श्री अभय पिता श्री माणकचंद्र पोखरना, 4. श्री अनिल पिता श्री माणकचंद्र पोखरना, 5. श्री उमेश पिता श्री जगन्नाथ त्रिवेदी, 6. श्रीमती रश्मि पति श्री उमेश त्रिवेदी, पता-225, क्लर्क कॉलोनी, इंदौर (म.प्र.) द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, शपथ पत्र तथा स्थल की स्थिति के आधार पर ग्राम भंवरासला, तहसील मल्हारगंज, जिला इन्दौर के सर्वे क्रमांक 159/2, 159/1/2/3/1, 159/1/2/2/1, 159/1/1/1, 159/1/2/1/1 कुल रकबा 3.278 हेक्टेयर भूमि पर संशोधनों का समावेश करते हुए आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु संशोधित अभिन्यास म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30(1)(ख) सहपठित म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27(1) एवं 2(5) के अधीन रहते हुए निम्न शर्तों के साथ अनुमोदित किया जाता है :-

1. इस संशोधन अनुज्ञा के फलस्वरूप पूर्व में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5490 दिनांक 01/08/2019 द्वारा पूर्व में स्वीकृत अभिन्यास के फलस्वरूप समस्त अग्रिम कार्यवाहियाँ संलग्न संशोधित अभिन्यास अनुसार की जाएँ।
2. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :-
 अ. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959
 ब. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1998
 स. अन्य किसी नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत कोई अनुमति/अनुज्ञा अनिवार्य हो, तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाएँ।
3. प्रश्नाधीन भूमि पर पार्ट A हेतु नियोजन मापदण्ड इस प्रकार मान्य होंगे :-
 अ- ग्राउण्ड कवरेज 30.0 प्रतिशत अधिकतम।
 ब- एफ.ए.आर. 1:2.0 अधिकतम।
 स- एम.ओ.एस संलग्न मानचित्र अनुसार।
 द- भवन की ऊँचाई 30.0 मीटर अधिकतम।
 ड- पार्किंग : म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 अनुसार।

Validity unknown

Digitally signed by S.K. Mudgal
 Date: 2021.06.30 14:57:50 IST

For VE Builders And Developers

Authorised Signatory

- 4. यह अनुमति आवासीय एवं आवासीय उपयोग में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधि के रूप में आवासीय मल्टी इवेलिंग यूनिट, रिटेल शॉप, व्यवसायिक कार्यकलाप स्वीकार्य होंगे। संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार मुख्य मार्ग से संलग्न मार्ग ए में केवल भूतल पर 5 प्रतिशत रिटेल शॉप एवं इंदौर विकास योजना 2021 के पैरा 6.10.11 के प्रावधानों अनुसार व्यवसायिक कार्यकलाप प्रति आवासीय इकाई के क्षेत्र का अधिक से अधिक 25 प्रतिशत अथवा 25 वर्गमीटर (जो भी कम हो) तक ही मान्य होगी।
- 5. इन्दौर विकास योजना 2021 के पैरा क्रमांक 6.8.4 अनुसार (पी.ओ.एफ.) प्रीमियम ऑन एफ.ए.आर. देय होगा। यह प्रीमियम नगर पालिक निगम में जमा कराया जावेगा, जो इस प्रीमियम का उपयोग संबंधित क्षेत्र की वाह्य अधोसंरचना एवं पार्किंग विकास हेतु करेंगी। यह दरें राज्य शासन द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित की जा सकेगी।
- 5. प्रश्नाधीन भूमि के पश्चिम दिशा में इंदौर विकास योजना 2021 अनुसार मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 75.0 मीटर रखते हुए मार्ग मध्य से 37.50 मीटर भूमि तथा प्रश्नाधीन भूमि के उत्तर दिशा में इंदौर विकास योजना 2021 अनुसार मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 30.0 मीटर रखते हुए मार्ग मध्य से 15.0 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु खुली रखना आवश्यक होगा। उक्त दोनों मार्ग विस्तार की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण वर्जित होगा।
- 6. प्रश्नाधीन प्रकरण नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत हैं तथा नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत कॉलोनी विकास हेतु म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 प्रभावशील है। उक्त नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी, आयुक्त, नगर पालिक निगम है। प्रकरण में म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 के अन्तर्गत विकास अनुमति देने के पूर्व समस्त नियमों का पालन करते हुए विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा उक्त नियमों में दिनांक 06/11/2019 को हुए संशोधन अनुसार पार्ट सी में संलग्न मानचित्र में दर्शाये गये कुल 55 भूखण्डों का 15 प्रतिशत भूखण्डों को 3:2 अनुपात अनुसार 05 भूखण्ड कमजोर आय वर्ग हेतु तथा 04 भूखण्ड निम्न आय वर्ग हेतु आवासीय इकाईया दिये जाने का विकल्प प्रस्तावित किया गया है तथा पार्ट ए में कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग हेतु आवासीय इकाई का प्रावधान विस्तृत भवन मानचित्र के समय किया जावेगा। इस आशय का आवेदक द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इस हेतु आवेदक से नियमों में प्रावधानित आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करवाकर आवेदक का प्रस्ताव मान्य करने का अधिकार सक्षम अधिकारी का है। सक्षम अधिकारी द्वारा विकल्प मान्य किये जाने पर ही विकास अनुमति प्रदान की जावें। यदि सक्षम अधिकारी के बताये अनुसार अभिन्यास में आवश्यक संशोधन मान्य किये जाकर सूचित किया जावेगा।
- 7. संलग्न मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावें।
- 8. भूखण्डों पर भवन के आन्तरिक प्रस्ताव नियमानुसार नगर पालिक निगम से स्वीकृत कराने के उपरांत ही भूखण्ड पर विकास/निर्माण किया जा सकेगा।
- 9. भवन का निर्माण भूकम्प अवरोधी तकनीकी के अनुसार एवं निर्धारित मानकों के अनुसार कराना होगा। किसी भी प्रकार का डिजाइन फॉल्ट अथवा स्वीकृति के बिना निर्माण प्रारंभ करना आवेदक की जवाबदारी होगी।

Validity unknown
 Digitally signed by S. A. Mudgal
 Date: 2021.06.30 14:57:50 IST

अविशत4

Steno/FC/SE(SI)/28-06-2021

For VB Builders And Developers
 Authorised Signatory

10. भवन में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार का ठोस अवशिष्ट (सॉलिड वेस्ट) के प्रबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश का पालन करना होगा, ठोस अवशिष्ट को तीन अलग-अलग श्रेणी में विभक्त कर भवन के लिये डाक यार्ड में तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने तथा डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक की होगी।
11. विषयांकित भूमि के प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमियों पर निर्मित/अनुमोदित मार्गों, प्रस्तावित मार्गों, भूखण्डों, खुले क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों की निरंतरता का समायोजन किया जावे।
12. स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत् रखा जावे, जिन वृक्षों को काटना अत्यंत आवश्यक है, उसके लिए नियमानुसार अनुमति कलेक्टर/सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना होगी।
13. संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवॉल से अवरुद्ध न किया जावे। इसे मान्य नहीं किया जावेगा।
14. यह अनुज्ञा पत्र जारी होने के दिनांक से तीन (3) वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावशील रहेगी और उसके पश्चात् यह अनुज्ञा व्यपगत हो जावेगी। परन्तु आवेदक द्वारा समयावधि समाप्त होने के पूर्व आवेदन करने पर इस अनुमति को वर्षानुवर्ष दो वर्ष तक (एक-एक वर्ष) के लिए बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी दशा में उक्त अनुमति की अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
15. स्वास्थ्य पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल प्रदाय व्यवस्था, जल-मल निकासी की व्यवस्था, विद्युत प्रदाय की व्यवस्था आदि का विकास स्थानीय संस्था की देखरेख में आवेदक को स्वयं करना होगा।
16. भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 01/09/2009 की अनुसूची की कंडिका 8(क) के अनुसार 20000 वर्ग मीटर या अधिक किन्तु 1500000 वर्ग मीटर से कम भवन एवं संनिर्माण परियोजनाओं में तथा 8(ख) के अनुसार 50 हेक्टेयर या उससे अधिक और/या 150000 वर्ग मीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के नगरी और क्षेत्र विकास में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति ली जाना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-23/2003/32 भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2005 में उल्लेख अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक-एस.ओ. 801(ई) दिनांक 07 जुलाई 2004 के परिपेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के दायरे में आती हैं, तो इकाई प्रबंधन को/संबंधित आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट/ई.आई.ए. के तहत सक्षम प्राधिकारी यथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा State Of Union Territory Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही परियोजना से जुड़े किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करना आवश्यक व अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे तथा निर्माण के पूर्व ई.आय.ए. क्लीयरेंस करना आवश्यक होगा।
17. यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी तथा अधिमान्य उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग के लिये नहीं होंगे।

Validity unknown

Digitally signed by S. K. Mudgal
Date: 2021.06.30 14:57:50 IST

अविरत5

(Signature)
Authorised Signatory

18. विषयांकित भूमि पर शासन के आदेश अनुसार आवेदक द्वारा चयनित कॉलोनी का नाम "हाईलाईन हेरिटेज" के आधार पर जारी की जा रही है। कॉलोनी के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन होने की दशा में धारा 29(3) के तहत संशोधन कराना आवश्यक होगा।
19. इस अनुमति का उपयोग किसी प्रकार के ऋण प्राप्त करने हेतु तब तक नहीं किया जा सकता है, जब तक की आवेदक म.प्र. भू-राजस्व संहिता अन्तर्गत भूमि व्यपवर्तन तथा म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वहन तथा शर्त) नियम 1998 के अन्तर्गत अनुमतियों प्राप्त नहीं कर लेता।
20. यह अभिन्यास आवेदक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर अनुमोदित किया गया है। यदि मौके पर विकास कार्य के दौरान भूमि की चर्तुःसीमा में परिवर्तन होता है, तो संशोधित अभिन्यास पुनः इस कार्यालय से नियमानुसार अनुमोदित कराना होगा।
22. संलग्न मानचित्र में भवन की ऊँचाई 30.0 मीटर प्रस्तावित की गई है। अतः निम्न अतिरिक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने के पश्चात् ही भवन अनुज्ञा जारी की जावे :-
- (1) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42(3) के अनुरूप नेशनल बिल्डिंग कोड भाग-4 में दी गई अनुशंसा के अनुरूप अग्निशमन व्यवस्था कर अग्नि प्राधिकारी से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अग्निशमन संबंधी उपायों की नियमानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के उपरांत ही दखलकारी अनुज्ञा पत्र जारी किया जाये।
 - (2) भवन और उसके चारों ओर के खुले स्थानों को जाने वाला पहुँच मार्ग 6.0 मीटर चौड़ा होगा और उसका स्थल अनुमोदन सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार शहर के अग्निशमन प्राधिकारी के परामर्श से प्रस्तावित किया जाएगा और उसकी सतह आवश्यकतानुरूप सख्त होगी जो 18 टन के दमकल (फायर इंजिन) का भार सहन करने योग्य हो उक्त खुली जगह बाधाओं से मुक्त रखी जाएगी और व मोटर के आने-जाने योग्य होना आवश्यक होगी।
 - (3) दमकल (फायर इंजिन) तक सुगम पहुँच अनुज्ञात करने के लिए भूखण्ड के मुख्य प्रवेश की चौड़ाई पर्याप्त होगी और जो किसी भी स्थिति में 4.5 मीटर से कम न हो। फाटक भीतर की ओर की अहाता दीवार के सामने इस प्रकार खुलने चाहिए जिसमें अग्निशम सेवा यानों के संचालन के लिए भूखण्ड में बाहरी पहुँच मार्ग निर्बाध हो यदि मुख्य प्रवेश द्वारा अहाता दीवार पर बनाया जाता है तो उसकी न्यूनतम खुलने वाली जगह 4.5 मीटर रखना होगी।
 - (4) वेसमेंट में जाने हेतु रेम्प का निर्माण फायर ब्रिगेड हेतु आरक्षित मूवमेंट स्पेस में नहीं किया जावेगा।
 - (5) आवेदक को परिसर के अन्दर तथा आस-पास सरफेस वाटर के निकास हेतु समूचित व्यवस्था करनी होगी।
 - (6) आवेदक द्वारा म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों अनुसार निःशक्तजनों हेतु समूचित व्यवस्था करनी होगी।
 - (7) भवन में एस.टी.पी./रिसाईकलिंग प्लांट लगाना अनिवार्य होगा ~~Validation जानें~~ नीचे वाले वेसमेंट में निर्मित किया जावेगा।

Digitally signed by S.K. Mudgal
Date: 2021.06.30 14:57:50 IST


आवरत 6

For VB Builders And Developers

Authorised Signatory

- (8) जल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन्दौर नगर पालिक निगम इन्दौर/संबंधित पंचायत से जल कनेक्शन प्राप्त करना होगी।
 - (9) म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 31, 32 एवं 52 का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण के संबंध में म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 65 से 89 (यथा लागू) के साथ-साथ सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 - (10) प्रत्येक तल पर पृथक-पृथक प्रकार के कचरे रखने के स्थान आरक्षित रखते हुए भू-तल पर एक पृथक-पृथक घर बड़े रूप में ऐसे स्थान पर बनाने होंगे कि, नगर निगम वाहन द्वारा आसानी से कचरा उठाया जा सके एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली अपनायी होगी।
 - (11) म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 86 के अनुसार अग्निशमन की व्यवस्था करना आवश्यक होगी तथा सक्षम अधिकारी, अग्निशमन से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
 - (12) भवन के अन्दर प्राथमिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा।
 - (13) भवन में अग्नि प्राथमिक मटेरियल का उपयोग सुनिश्चित करना होगा।
 - (14) बेसमेंट में एन. वी. सी. तथा म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 76 का पूर्णतः पालन करना होगा।
 - (15) म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 84 अनुसार समुचित पार्किंग की व्यवस्था परिसर के अन्दर ही सुनिश्चित कराई जाने के उपरांत ही भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान की जावे।
 - (16) सक्षम प्राधिकारी द्वारा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012, के नियम 60 का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
23. किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व, सीमा अथवा मार्ग संबंधी विवाद होने पर या दी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर या उक्त ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहित (रिहोक) कर दी जावेगी।

संलग्न - मानचित्र।


 संयुक्त संचालक
 नगर तथा ग्राम निवेश
 जिला इंदौर (म.प्र.)


पृ.क्र./ /INDLP-7956/21/नग्रानि/2021 इंदौर, दिनांक
 प्रतिलिपि :-

- 1. सक्षम प्राधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिका निगम, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट www.empownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।


Jee

Validity unknown
 Digitally signed by S.K. Mudgal
 Date: 2021.06.30 14:57:50 IST

For VB Builders And Developers


 Authorised Signatory

2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील मल्हारगंज, जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, यदि प्रश्नाधीन भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार का वाद-विवाद कार्यालय में प्रचलन में हो, तो इस प्रारंभिक अनुमति के आधार पर कोई कार्यवाही न करें। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट www.empownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
 3. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद सीमा शुल्क एवं सेवा कर, माणिकवाग पैलेस, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट www.empownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
 4. तहसीलदार, तहसील मल्हारगंज, जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट www.empownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
 5. मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट www.empownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
 6. वरिष्ठ पंजीयक, पंजीयन कार्यालय, जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट www.empownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
 7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इंदौर, कलेक्टर ऑफिस के पीछे, इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट www.empownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
 8. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण निवारण मण्डल, इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट www.empownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
- संलग्न - मानचित्र।


 संयुक्त संचालक
 नगर तथा ग्राम निवेश
 जिला इंदौर (म.प्र.)

He

Validity unknown

Digitally signed by S.K. Mudgal
 Date: 2021.06.30 14:57:50 IST

For VB Builders And Developers

Authorised Signatory



नगर पालिक निगम इंदौर

312

क्रमांक
PMT/IND/0152/4545/2023

दिनांक 12-सितम्बर-2023

प्रति

Dr. VINOD BHANDARI S/O SHETANMAL BHANDARI AND OTHERS
PART-A, HIGHLINE HERITAGE, VILLAGE BHAWRASLA INDORE

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक IND/IND/IND/0152/3538/2023

1. जोन क्रमांक / वार्ड क्रमांक : 17 / 18
2. कॉलोनी का नाम : HIGHLINE HERITAGE
3. भूखंड क्रमांक : PART -A
4. CaseType : Erect
5. LandUse : Residential
6. BuildingUse : Residential
7. Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
102.520	223.040	15064.000	14302.380

8. FAR Table

Permissible FAR Factor	: 2.00	Total permissible Builtup Area	: 33336.630
Consumed FAR	: 2.210	Proposed Builtup Area	: 31648.330
Special Cases FAR	: No	Existing Builtup Area	: 0.000
Set Back Area	: -	NonFAR Area	: 40387.82
Existing Ground Coverage	: 0.000	Proposed Ground Coverage	: 29.470
		Permissible Ground Coverage	: 30.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	BLOCK ABC	5,941.58	17,245.79	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	BLOCK D	0.00	8,029.90	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	BLOCK E	0.00	431.06	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	SINGLE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
BLOCK D	1	FLOOR-PARKING01	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1393.11
BLOCK D	2	FLOOR-STILT	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1393.11
BLOCK D	3	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	100.79
BLOCK D	4	FLOOR01	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	802.99	320.86


Authorized Signatory



नगर पालिक निगम इंदौर

343

BLOCK D	5	FLOOR02	0.00	802.99	0.00	0.0000	0.00	802.99	320.86
BLOCK D	6	FLOOR03	0.00	802.99	0.00	0.0000	0.00	802.99	320.86
BLOCK D	7	FLOOR04	0.00	802.99	0.00	0.0000	0.00	802.99	320.86
BLOCK D	8	FLOOR05	0.00	802.99	0.00	0.0000	0.00	802.99	320.86
BLOCK D	9	FLOOR06	0.00	802.99	0.00	0.0000	0.00	802.99	320.86
BLOCK D	10	FLOOR07	0.00	802.99	0.00	0.0000	0.00	802.99	320.86
BLOCK D	11	FLOOR08	0.00	802.99	0.00	0.0000	0.00	802.99	320.86
BLOCK D	12	FLOOR09	0.00	802.99	0.00	0.0000	0.00	802.99	320.86
BLOCK D	13	FLOOR10	0.00	802.99	0.00	0.0000	0.00	802.99	320.86
BLOCK E	14	FLOOR-STILT	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	335.19
BLOCK E	15	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	34.99
BLOCK E	16	FLOOR01	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	308.11
BLOCK E	17	FLOOR02	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	308.11
BLOCK E	18	FLOOR03	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	308.11
BLOCK E	19	FLOOR04	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	308.11
BLOCK E	20	FLOOR05	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	324.59
BLOCK E	21	FLOOR06	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	324.59
BLOCK E	22	FLOOR07	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	324.59
BLOCK E	23	FLOOR08	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	324.59
BLOCK E	24	FLOOR09	0.00	215.53	0.00	0.0000	0.00	215.53	109.06
BLOCK E	25	FLOOR10	0.00	215.53	0.00	0.0000	0.00	215.53	109.06
BLOCK ABC	26	FLOOR-BF01	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	9244.35
BLOCK ABC	27	FLOOR-BF02	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	9244.35
BLOCK ABC	28	FLOOR-GROUND	2,284.81	508.00	0.00	0.0000	0.00	2,792.81	862.70
BLOCK ABC	29	FLOOR-MFGROUNDT 001	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	928.13


Authorised Signatory



नगर पालिक निगम इंदौर

344

BLOCK ABC	30	FLOOR-SERVICE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	2664.81
BLOCK ABC	31	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	198.27
BLOCK ABC	32	FLOOR01	947.32	480.38	0.00	0.0000	0.00	1,427.70	625.16
BLOCK ABC	33	FLOOR02	2,709.45	567.66	0.00	0.0000	0.00	3,277.11	925.13
BLOCK ABC	34	FLOOR03	0.00	2,255.63	0.00	0.0000	0.00	2,255.63	907.95
BLOCK ABC	35	FLOOR04	0.00	2,239.02	0.00	0.0000	0.00	2,239.02	906.68
BLOCK ABC	36	FLOOR05	0.00	2,239.02	0.00	0.0000	0.00	2,239.02	906.68
BLOCK ABC	37	FLOOR06	0.00	2,239.02	0.00	0.0000	0.00	2,239.02	906.68
BLOCK ABC	38	FLOOR07	0.00	2,239.02	0.00	0.0000	0.00	2,239.02	906.68
BLOCK ABC	39	FLOOR08	0.00	2,239.02	0.00	0.0000	0.00	2,239.02	906.68
BLOCK ABC	40	FLOOR09	0.00	2,239.02	0.00	0.0000	0.00	2,239.02	906.68
Single	41	FLOOR-GROUND	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	132.18

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/IND/0152/6935/2023	30128.00	RCPT/IND/0152/9464/2023	6/22/2023	Online
DMD/IND/0152/9872/2023	9505730.00	RCPT/IND/0152/13608/2023	9/11/2023	Online
DMD/IND/0152/9872/2023	17950842.00	RCPT/IND/0152/13609/2023	9/11/2023	Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक 11-सितम्बर-2026 तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में नगर निगम अधिकारी को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञा पत्र संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य निगम के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन करने पर उसे पुनः निगम से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अंतिम तिथि के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वजनिक तथ्य के दुरुपरेशन पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का

Authorised Signatory



नगर पालिक निगम इंदौर

345

उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति सहित की जा सकेगी।

8. जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा नगर पालिक निगम की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा
9. भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
10. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
11. स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के परिशिष्ट क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
12. बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही निगम की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा नगर पालिक निगम विधान की धारा 159 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के निर्देशन में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह सुनिश्चित भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टेन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
14. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार अग्निशमन की व्यवस्था करना होगी। अग्निशमन अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। अग्निशमन व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
15. उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा तथा ठोस अपशिष्ट को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
16. स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर निगम की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
17. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
18. यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
19. कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
20. भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।
21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंदर ही स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

NA

For VB Builders निगम अधिष्ठात्री, इंदौर

Authorised Signatory

346



URBAN ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

Indore

Payment Receipt

File Number : IND/IND/IND/0152/3538/2023 Receipt No. : RCPT/IND/0152/13608/2023
Owner Name : Shri/Smt:Dr. VINOD BHANDARI S/O SHETANMAL BHANDARI AND OTHERS Receipt Date : 11-Sep-2023
Owner Address : Z/W:PART-A,HIGHLINE HERITAGE, VILLAGE BHAWRASLA INDORE
Architect : Alkesh Sharma(Upadhyay) Demand Note No : DMD/IND/0152/9872/2023
Plot No. : PART -A
Zone: 17 Ward: 18 Colony: HIGHLINE HERITAGE

This receipt confirms the payment of fee by the owner with the details below for the file number mentioned above.


SINo	Fee Name	Amount (Rs)	Remarks	Previous Paid Amount (Rs)
1	Karmkar Fees	9505730.00		
	Total	9505730.00		

Amount in Words : NINETY FIVE LAKHS FIVE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND THIRTY ONLY

Receipt issued subject to confirmation of Online payment credit in ULB's Bank account

For VB Builders And Developers

Note : It is Abpas2 system generated receipt, does not require any signature


Authorised Signatory